[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ]

फा. सं. 07/20/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

(मामला संख्या: एडी/एसी/005/2026)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य एवं कोरिया गणराज्य में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का, मलेशिया से "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों के माध्यम से परिवंचन किए जाने से संबंधित परिवंचन-रोधी जांच।

1. मैसर्स डोज़्को (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने घरेलू उद्योग की ओर से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, यथासमय-समय पर संशोधित (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति के अवधारण) नियम, 1995, यथासमय-समय पर संशोधित (इसके पश्चात "नियम" के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. (इसके पश्चात "संबंधित देश" के रूप में भी संदर्भित) में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" (इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबंधित

वस्तुएं" के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का, मलेशिया (इसके पश्चात "जांचाधीन देश" या "सीयूआई" के रूप में भी संदर्भित) से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों के माध्यम से परिवंचन किया जा रहा है।

<u>क. पृष्ठभूमि</u>

2. नामित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/8/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च 2024 के माध्यम से चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयात पर निश्चायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम निष्कर्ष अधिसूचित किए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों में की गई इस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से निश्चायक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

<u>ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 28 मार्च 2024 के अपने अंतिम निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर' है (इसके पश्चात 'संबंधित वस्तुएं' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित)। सामान्य प्रचलन में विचाराधीन उत्पाद हाइड्रोलिक ब्रेकर, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, छेनी/उपकरण के नाम से जाना जाता है। पीयूसी सामान्यतः निम्नलिखित विवरण के अंतर्गत आयात किया जाता है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

मिश्र धातु इस्पात छेनी: रॉक चिज़ल टीथ, टूथ रॉक चिज़ल, ब्रेकर टूल, हाइड्रोलिक हैमर (टूल्स), हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर वेज पॉइंट फॉर वर्किंग टूल, चिज़ल ब्लंट, ब्लंट, चिज़ल आदि के रूप में आयातित।

हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर: हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर (छेनी सहित एवं छेनी रहित), रॉक ब्रेकर विद एंड विदाउट बल्क, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर असेंबली किट, रॉक ब्रेकर स्पेयर बॉडी

असेंबली, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर फाइन, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, रॉक ब्रेकर, बॉक्स टाइप हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर आदि।"

4. दिनांक 16 जून 2023 की पीयूसी के दायरे संबंधी अधिसूचना के माध्यम से यह और स्पष्ट किया गया था कि पीयूसी का दायरा हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकरों के निम्नलिखित 'संयोजनों', 'उप-संयोजनों' एवं 'घटकों' तक सीमित है:

   क. फ्रंट हेड

   ख. बैक हेड

   ग. हाइड्रोलिक सिलेंडर अथवा रॉक ब्रेकर के लिए पिस्टन

   घ. सिलेंडर बॉडी अथवा हाइड्रोलिक यूनिट (हाइड्रोलिक बॉडी में फ्रंट हेड, बैक हेड, सिलेंडर एवं पिस्टन सम्मिलित हैं)

   ङ. ब्रैकेट

   च. फ्रेम

   छ. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के लिए सिलेंडर

<u>ग. जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)</u>

5. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों का कथित रूप से परिवंचन कर रहा जांचाधीन उत्पाद (जिसे 'पीयूआई' भी कहा गया है) मलेशिया से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" तथा मूल जांच में यथापरिभाषित 7 उप-संयोजन हैं। पीयूआई सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत उप-शीर्ष 8409, 8412, 8430 एवं 8431 के अधीन वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं तथा किसी भी रूप में जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

<u>घ. घरेलू उद्योग</u>

6. आवेदन मैसर्स डोज़्को (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" का एकमात्र ज्ञेय घरेलू उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि वह संबंधित देशों अथवा

सीयूआई में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन नियमों के नियम 2(ख) एवं नियम 5(3) की दृष्टि से 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है।

ङ. जांचाधीन देश (सीयूआई)

7. वर्तमान जांच में जांचाधीन देश मलेशिया है, जिसके माध्यम से संबंधित देशों में उत्पन्न संबंधित वस्तुओं को कथित रूप से भारत की ओर पुनर्मार्गित किया जा रहा है।

च. जांच अवधि

8. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2025 से मार्च 2026 (12 माह) है तथा क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 एवं जांच अवधि सम्मिलित होगी।

छ. विद्यमान उपाय

9. अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 6/8/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च 2024 के माध्यम से सिफारिश किए गए तथा केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से लगाए गए विद्यमान पाटनरोधी उपाय का कथित रूप से परिवंचन किया जा रहा है।

ज. कथित परिवंचन के आधार

10. परिवंचन-रोधी जांच हेतु आवेदन दायर किया गया है। आवेदक ने परिवंचन-रोधी जांच की मांग करते हुए निम्नलिखित कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं:

    क) व्यापार के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत शुल्क लगाए जाने के पश्चात मलेशिया से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि प्रवृत्त शुल्क के अतिरिक्त इन आयातों का कोई समुचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।

    ख) आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का परिवंचन (i) असंयोजित/अपूर्ण रूपों में आयात, (ii) उत्पाद के नाम में परिवर्तन, तथा (iii) देश-आधारित परिवंचन के माध्यम से हुआ है।

ग) मलेशिया में कोई ऐसा ज्ञात उत्पादक नहीं है जो पूर्ण रूप से उत्पादन गतिविधियां कर रहा हो। यह दावा किया गया है कि मलेशिया से प्रेषित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के निर्यात पर्याप्त रूप से चीन एवं कोरिया में उत्पादित होते हैं और तत्पश्चात मलेशिया में संसाधित कर मलेशिया में उत्पन्न वस्तुओं के रूप में भारत को निर्यात किए जाते हैं।

घ) यह उल्लेखनीय है कि मलेशिया न तो पीयूआई के आयात हेतु परंपरागत बाजार माना जाता है और न ही वहां उक्त उत्पाद के उत्पादक अथवा विनिर्माता हैं। तदनुसार, मलेशिया से आयातों में आकस्मिक वृद्धि को सामान्य बाजार परिस्थितियों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. जैसे संबंधित देश, कोई उत्पादन क्षमता न होने के बावजूद, अपने निर्यातों को मलेशिया के माध्यम से पुनर्मार्गित कर रहे हैं, जो शुल्क लगाए जाने के पश्चात व्यापार प्रतिरूप में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है।

ङ) मलेशिया से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं तथा घरेलू उद्योग की कीमतों का अल्पकर्तन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को कमजोर करते हुए घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

11. आवेदक ने परिवंचनकारी उत्पादों, अर्थात् पीयूआई, पर जांच के आरंभ की तारीख से पाटनरोधी शुल्क भूतलक्षी रूप से लगाए जाने का अनुरोध किया है।

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करता है कि व्यापार के प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत शुल्क लगाए जाने के पश्चात बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य के और बिना किसी ज्ञात पूर्ण उत्पादन गतिविधि के मलेशिया से आयात प्रारंभ होकर उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गए हैं तथा विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो रहे हैं। प्राधिकारी ने सम्यक परीक्षण के पश्चात तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान जांच के दायरे को नियमों के नियम 25(2)(ग) की दृष्टि से मलेशिया के माध्यम से कथित देश-आधारित परिवंचन तक सीमित रखना उचित समझा है।

झ. परिवंचन-रोधी जांच का आरंभ

13. जांच के आरंभ से पूर्व संबंधित देशों की सरकारों तथा जांचाधीन देश मलेशिया की सरकार को पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5(5) की दृष्टि से भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से सूचित किया गया था।

14. मलेशिया से आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट आवेदन के आधार पर तथा व्यापार के प्रतिरूप में परिवर्तन एवं विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव के कमजोर होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात, प्राधिकारी एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 9क(1क) तथा नियमों के नियम 25 एवं 26 के अनुसार परिवंचन-रोधी जांच आरंभ करता है, ताकि चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. से आयातों पर लगाए गए विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को नियमों के नियम 27(3) के अनुसार, इस जांच के आरंभ की तारीख से, मलेशिया से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयातों तक विस्तारित किए जाने पर विचार किया जा सके।

15. नियमावली के नियम 26 (4क) के अनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार को यह सिफारिश करते हैं कि वर्तमान जांच में शामिल जांचाधीन उत्पाद के आयातों का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाए तथा नियमावली के नियम 27 के उप-नियम (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक आयातकों से समुचित गारंटी प्राप्त की जाए।

16. यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9क(1क) सहपठित नियमों के नियम 28 की दृष्टि से, यदि परिवंचन का अवधारण किया जाता है, तो प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को मलेशिया से पीयूआई के आयातों तक ऐसी तारीख से विस्तारित किया जा सकता है जो वर्तमान जांच के आरंभ की तारीख से पूर्ववर्ती न हो।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत कराएं। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त समस्त पत्राचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा तत्संबंधी मामला आईडी - AD/AC/005/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

18. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार तथा भारत में संबंधित वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त सुसंगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस आरंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्ररूप एवं रीति से दायर की जानी चाहिए।

19. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, इस आरंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्ररूप एवं रीति से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है।

20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं एवं ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से जाएं।

<u>ट. समय-सीमा</u>

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा तत्संबंधी मामला आईडी - AD/AC/005/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) एवं गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना एवं अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाली आरंभ की सूचना चिह्नित हितबद्ध पक्षकारों को संसूचित किए जाने अथवा निर्यातक देश के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट स्तंभों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि नियत समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) संसूचित करें तथा इस अधिसूचना में नियत समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।

23. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुतियां दायर करने हेतु अतिरिक्त समय चाहता है, वहां उसे पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) की दृष्टि से ऐसे विस्तार हेतु पर्याप्त कारण का उल्लेख करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस आरंभ अधिसूचना में नियत समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

24. विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

25. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उससे यह अपेक्षित है कि वह पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7(2) की दृष्टि से तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का गैर-गोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करे।

26. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "गैर-गोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "गैर-गोपनीय" सूचना के रूप में मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होगा।

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का गैर-गोपनीय संस्करण मूलतः गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचकांकित हो अथवा (जहां सूचकांकन संभव न हो) रिक्त की गई हो, तथा जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके आधार पर ऐसी सूचना का समुचित एवं पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए।

28. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना होगी जिसे ऐसी सूचना का प्रदायकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना, जिसके प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, के संबंध में सूचना के प्रदायकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ यह बताते हुए समुचित कारण कथन प्रस्तुत करे कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

29. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति के परीक्षण पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना का प्रदायकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने हेतु प्राधिकृत करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकता है।

30. गैर-गोपनीय सारांश इतने पर्याप्त विवरण में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना सारांशीकरण योग्य नहीं है, और ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं की दृष्टि से यह बताते हुए पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारण कथन प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

31. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

32. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना अथवा पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं की दृष्टि से पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

<u>ङ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के समस्त गैर-गोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है एवं केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 28-09-2026 19:52:37

(श्री अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी